मूल हिंदी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4412

27 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत निर्मित मकान

4412. डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः

श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र के लातूर और संभाजीनगर जिलों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले तथा संघ राज्यक्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव के जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत अब तक स्वीकृत किए गए और पूर्ण किए गए मकानों की संख्या कितनी है;

(ख) स्वीकृत मकानों की संख्या अपेक्षा से कम होने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त जिलों को अब तक कितनी केंद्रीय सहायता आश्वासित की गई है और जारी की गई है; और

(घ) उक्त जिलों सहित उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ) 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रयासों में सहायता कर रहा है। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। भाग लेने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग के आधार पर योजना के दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव तैयार किए हैं और स्वीकार्य केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए इस मंत्रालय को प्रस्तुत किए हैं। वित्तपोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए योजना अवधि को 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू को सहकारी संघवाद की भावना से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें भाग लेने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में आवासों की मांग के आधार पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और स्वीकार्य केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए इस मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र के लातूर और संभाजी नगर जिलों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले और दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के जिलों में 17.03.2025 तक वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से सीख लेकर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिनांक 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सबके लिए आवास' मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र शहरी लाभार्थियों की सहायता करना है। आज तक, 32 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 के परिचालन दिशानिर्देश और एकीकृत वेब पोर्टल https://pmay-urban.gov.in पर देखा जा सकता है।

*****

दिनांक 27-03-2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4412 के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएमएवाई-यू के तहत महाराष्ट्र के लातूर और संभाजी नगर जिलों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले और संघ राज्य क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली और दमण और दीव के जिलों में वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण

जिले/ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवास (संख्या)	निर्माणाधीन आवास	निर्माण कार्य पूर्ण किए गए आवास (संख्या)	स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)
महाराष्ट्र	लातूर जिला	17,054	14,348	10,389	282.09	226.95
	संभाजी नगर जिला	72,517	30,570	26,001	1,288.26	607.98
	राज्य में कुल मिलाकर	13,64,923	11,49,476	9,64,134	25,548.21	19,530.92
मध्य प्रदेश	खंडवा जिला	13,640	13,436	12,462	230.59	225.77
	राज्य में कुल मिलाकर	9,61,147	9,44,071	8,52,134	15,930.45	15,555.00
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र	दादरा और नगर हवेली जिला	7,568	7,568	7,082	163.63	156.99
	दमण जिला	2,033	2,033	2,026	45.50	44.76
	दीव जिला	346	346	342	5.27	2.82
	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र में कुल मिलाकर	9,947	9,947	9,450	214.40	204.56

*****